भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1774

दिनांक, 08.03.2016/18 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली नगर निगम का सतर्कता विभाग

1774. **श्री राम टहल चौधरी:**
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सतर्कता विभाग के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समीक्षा के निष्कर्ष क्या है; और

(ग) दि.न.नि. के सतर्कता विभाग के कार्यकरण में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क)और(ख): **उत्तरी एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगमों ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सतर्कता विभाग के कार्यकरण पर समय-समय पर समीक्षा बैठकों का संचालन करते हैं। जब और जैसे ही सीवीसी द्वारा निदेश जारी किए जाते हैं, उनका अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, सीवीओ, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और सीवीओ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी सतर्कता विभागों के कार्यों में सुधार के लिए मासिक समीक्षा करते हैं। सतर्कता विभागों के कार्यकरण में सुधार के लिए, आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि संचालित किए जा रहे हैं। हाल ही में, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विभिन्न विभागों में**

.....2/-

तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विभिन्न विभागों में उनके सतर्कता विभागों द्वारा क्रमश: 40 **से अधिक तथा** 26 **औचक निरीक्षणों/छापामारी की कार्यवाही की गई, जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के** 22 **अधिकारियों और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के** 52 **अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनके सतर्कता विभाग के कार्यकरण में सुधार के लिए सीवीओ द्वारा कार्य की निरंतर समीक्षा की जाती है। सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने, जांच संचालित करने तथा आरोप-पत्र तैयार करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। छानबीन तथा जांच से संबंधित मामलों में पूरी जानकारी देने के लिए अतिथि संकाय को भी आमंत्रित किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान 136 **नियमित विभागीय कार्रवाई (आरडीए), पंजीकृत की गई हैं,** 150 **आरोप-पत्र जारी किए गए हैं और** 12 **दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है।**

(ग): भारत सरकार दिल्ली के नगर निगमों के दैनंदिन कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है।

****